रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No D.(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 78] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 16, 1978/माघ 27, 1899

No. 78] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 16, 1978/MAGHA 27, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1978

का० आ० 99(अ)—केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) के आदेश सं० का० आ० 146(अ), तारीख 19 मार्च, 1975 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) यह घोषणा की थी कि 15 फरवरी, 1974 के पूर्व, यथास्थिति, की गई, किए गए या दिए गए ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के स्थानांतरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पट्टाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का प्रवर्तन, जिसका कि बिहार स्थित मैसर्स ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग वर्कस (वैगन्स डिवीजन) मोकामा नामक औद्योगिक उपक्रम या ऐसे उपक्रम की स्वामी कम्पनी एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हो और जो उक्त आदेश के जारी किए जाने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त हो 18 मार्च, 1976 तक निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उसके अधीन उद्भूत या प्रोद्भूत सभी अधिकार, विशेषाधिकार बाध्यताएं और दायित्व 18 मार्च, 1976 तक निलम्बित रहेंगे ,

और उक्त आदेश की अवधि समय-समय पर 18 मार्च, 1978 तक के लिए बढ़ाई गई थी ,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 14 फरवरी, 1979 तक की और अवधि तक बढ़ा दी जानी चाहिए ,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि, 14 फरवरी, 1979 तक के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाती है ।

[सं० फा० 4(2)/73सी यू सी]

जी० वी० रामकृष्ण, अपर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 16th February, 1978

S.O. 99(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial and Civil Supplies (Department of Heavy Industry) No S O 146(E), dated the 19th March, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or

other instruments entered into, given or made, as the case may be, before the 15th February, 1974, to which the industrial undertaking known as Messrs. Britannia Engineering Works (Wagon Division), Mokameh, in the State of Bihar or the company owning such undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company and in force immediately before the date of issue of the said Order shall remain suspended upto the 18th March, 1976, and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended upto the 18th March, 1976 ;

And, whereas, the duration of the said Order was extended from time to time upto the 18th March, 1978 ;

And, whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto the 14th February, 1979;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 14th February, 1979.

[File No. 4/2/73-CUC]

G. V. RAMAKRISHNA, Additional Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978